


24.2.21

U614022000  
24.2.21

वादीया के अधिकार उपस्थित। उन्होंने निवेदन किया कि वादीया की ओर से दिया गए पैरवी नहीं है। और अधिका पर दियानत पैरवी नहीं होना संकित किया। वादीया के अदालत उठने तक बार बार आवान लगाने गई परन्तु उसकी ओर से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया। उक्त उद्यम पैरवी उद्यम एजिरी के बाखि किया जान है। मिसल फिसल सुमार होकर गवर से कम है। बाद इफतर काविल है।



  
 (पोहनलाल खटनावतिका)  
 उपस्थित अधिकारी  
 पसुव (अम्नेर) कस